न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 56/2016 (उदयपुर डिक्री)

भंवरलाल पिता नारायणलाल जी कुमावत, निवासी देवली, तहसील गिर्वा, हाल तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. भगवानलाल पिता कुका जी कुमावत (मृतक) के बजाय :–

1/1. किशनलाल पिता भगवानलाल जी कुमावत, निवासी देवली, तहसील गिर्वा, हाल तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. श्रीमती सीता बाई (पुत्री भगवानलाल जी) पत्नी रामचन्द्र जी कुमावत, निवासी नीमच माता स्कीम, देवाली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।

1/3. श्रीमती भूरी बाई (पुत्री भगवानलाल जी) पत्नी अम्बालाल जी कुमावत, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2. किशनलाल पिता रूपलाल जी कुमावत, निवासी देवली, तहसील गिर्वा, हाल तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

3. नानालाल पिता रूपलाल जी कुमावत, निवासी देवली, तहसील गिर्वा, हाल तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

4. शंकरलाल पिता रूपलाल जी कुमावत, निवासी देवली, तहसील गिर्वा, हाल तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

5. रूपसिंह पिता चम्पासिंह जी, निवासी घोला की ओड़, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

6. श्रीमती आशा पत्नी हीरालाल खमेसरा, निवासी भट्टजी की बाडी, उदयपुर

7. श्रीमती कल्पना पत्नी अनिल कुमार, निवासी उदयपुर (राज.)

8. रमेशचन्द्र पिता सुन्दरलाल, निवासी उदयपुर (राज.)

9. श्रीमती विनीता जैन पत्नी महेश जी, निवासी उदयपुर (राज.)

10. राजेन्द्र पिता लक्ष्मीलाल जी धर्मावत, निवासी उदयपुर (राज.)

11. श्रीमती सरिता पत्नी रमेशचन्द्र जी धर्मावत, निवासी उदयपुर (राज.)

12. श्रीमती पुष्पा देवी बेवा हीरालाल जी कुमावत, निवासी देवाली, उदयपुर

13. राकेश पिता हीरालाल जी कुमावत, निवासी देवाली, उदयपुर (राज.)

14. चेतन पिता हीरालाल जी कुमावत, निवासी देवाली, उदयपुर (राज.)

15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा. का. अ.
1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा दिनांक
29.09.2015, प्रकरण संख्या 245/2013

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक रे॰सं॰ 6
3. श्री हर्षद जोशी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2
4. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 21—02—2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट भंवरलाल व उसके भाई हीरालाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 से 14 के पूर्वज द्वारा एक वाद बाबत् विभाजन एवं इन्द्राज दुरस्ती विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 व सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूलपुरूष कूका जी के तीन पुत्र रूपा, नारायण व भगवान हुए। रूपा के पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 से 4 हैं तथा भगवान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 है तथा वादीगण नारायण के पुत्र हैं। मौजा देवाली में वाद पत्र की कलम संख्या 2 की कुल किता 8 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित होकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का 1/3 हिस्सा है तथा पक्षकारन ने राजीनामा दिनांक 06—06—1971 अनुसार आपसी विभाजन कर रखा है, जिसके अनुसार वाद पत्र की कलम संख्या 4 की भूमियां वादीगण के हिस्से में रखी गयी हैं, जिसपर उनका कब्जा है। उक्त बंटवाड़े की ताईद में सहमति पत्र भी प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में हस्ताक्षरित कर दिया गया है। अतएवं उपरोक्तानुसार विभाजन किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि बंटवाड़े एवं कब्जे अनुसार बंटवाड़ा किया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 16/88 में अपने निर्णय दिनांक 13—06—1988 से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार गिर्वा को कमिश्नर नियुक्त कर पक्षकारों की मौजूदगी में न्यूनतम फेरबदल करते हुए भूमि का बंटवाड़ा किये जाने की प्रारम्भिक डिकी जारी की तथा प्राप्त

विभाजन प्रस्तावों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–11–1999 को अंतिम डिक्री जारी की गयी।

उक्त अंतिम डिक्री से रूष्ट होकर इस न्यायालय में अपील संख्या 166/2000 रूपसिंह रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत की गयी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19–03–2001 से अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–11–1999 को अपास्त करते हुए प्रकरण में प्रदत्त निर्देशानुसार पालना किये जाने के लिए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।

उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट भंवरलाल द्वारा द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपील संख्या 18/2001 प्रस्तुत की, जिसमें माननीय राजस्व मण्डन द्वारा दिनांक 09–03–2006 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट भंवरलाल की अपील खारिज करते हुए आर.ए.ए. न्यायालय के निर्णय दिनांक 19–03–2001 को यथावत रखा तथा जिन व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया तथा वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को पक्षकार बनाकर सभी पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करने के निर्देश दिये।

माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 09–03–2006 की पालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 313/2007 दर्ज कर दिनांक 21–01–2010 को प्रकरण में पुनः प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार गिर्वा को कमिश्नर नियुक्त किया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 21–01–2010 के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 किशनलाल द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 113/2011 प्रस्तुत की गयी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18–11–2013 से अपील खारिज कर दी तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21–01–2010 को यथावत रखा।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29–09–2015 को प्राप्त विभाजन प्रस्तावों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी संख्या 1 भंवरलाल द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11–07–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट के अधिवक्ता ने पूर्व में पारित अंतिम डिक्री जिस पर

बंटवाड़ा सूची तैयार की गयी, उस पर अंतिम डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया, लेकिन कथित निर्णय बाद में लिखा गया, जिसमें बंटवाड़ा सूची दिनांक 07–06–2011 के आधार पर सहमति लिखते हुए बंटवाड़ा कर दिया गया, जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी होते ही यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री हर्षद जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं कानून के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय के प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13–06–1988 की पालना में बंटवाड़ा सूची बनायी गयी, जिसके आधार पर दिनांक 18–11–1999 को अंतिम डिक्री पारित की गयी, जिस पर अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी सहमति दी थी, लेकिन निर्णय बाद में लिखे जाने से पूर्व की बंटवाडा सूची दिनांक 07–06–2011 की सहमति लिख दी गयी, जो गलत है तथा इस बंटवाड़ा सूची से दावे की पूर्व की स्थिति बन गयी है यानि बंटवाड़ा हुआ ही नहीं है व पूर्व सभी खातेदारों के नाम दर्ज कर दिये गये हैं, जिससे इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये निर्णयों की अवहेलना हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल एवं आर.ए.ए. न्यायालय के निर्णयों को पढ़े बिना निर्णय पारित कर दिया है।

सहमति का जहां तक प्रश्न है, अपीलेट कोर्ट के निर्णयों के विरूद्ध वादी के अधिवक्ता द्वारा सहमति नहीं दी गयी है, बल्कि पूर्व में पारित बंटवाड़ा सूची जिसके आधार पर अंतिम डिक्री दिनांक 18–11–1999 को पारित की गयी है, उसी पर सहमति दी गयी है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने सहमति का गलत अर्थ लेते हुए गलत अंकन कर निर्णय पारित कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रकरण में किस विभाजन सूची पर पक्षकारान की सहमति ली गयी है तथा इस न्यायालय तथा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णयों के सन्दर्भ में नवीन पक्षकारों को शामिल करते हुए उन पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूलतः किस विभाजन सूची पर सहमति दी गयी है, इस बाबत् कोई अंकन नहीं किया है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया अस्पष्ट निर्णय होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–09–2015 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय तथा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णयों के सन्दर्भ में युक्ति–युक्त विवेचन करते हुए प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर पक्षकारों को विशिष्ट विभाजन सूची पर सुनवाई का अवसर देकर आपत्तियां यदि कोई हों तो उनका निस्तारण करते हुए प्रकरण में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–04–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

गणेश पिता स्वर्गीय गोपा जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.) बनाम **गंगा पिता स्वर्गीय गोपा जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**112/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....08**.....माह.....**09**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**08**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री हुक्मसिंह देवड़ा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री कैलाश नागदा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–09–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**08**.....**2017** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।